

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

संख्या 09/15-16/311 / भू अ0

दिनांक : 09-9-15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- असहना, थाना :- जसीडीह, थाना सं०-606, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-असहना, थाना :-जसीडीह, थाना सं० :- 606, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 15.72 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	75	रैयती	धानी-1	0.13	एकसन बीबी, पति- नौशाद मियां वो नुरवानू बीबी माता संजीवन बीबी वो गुलबानू बीबी, माता कदिरन बीबी वो मो० हुसैन वो मो० नुर वो मोहम्मद गफुर, पिता अकबर मियां।	मौजा-मंझि याना, थाना संख्या-607	मौजा सल्लुरायडी ह, थाना- संख्या-61 4	मौजा- भितिया, 608,	मौजा भितिया, 608
2	1	73	रैयती	बाड़ी-1	0.05					
3	1	61	रैयती	धानी-1	1.09					
4	1	63	रैयती	धानी-1	0.37					
5	1	62	रैयती	धानी-1	0.27					
6	1	64	रैयती	बाड़ी-1	0.24					
7	1	65	रैयती	बाड़ी-1	0.09					
8	2	50	रैयती	बाड़ी-1	0.12	कमल महतो वो खेलू महतो, पिता-स्व. बुधन महतो वो एतवारी महतो, पिता युगल महतो वो घनश्याम महतो वो सीता राम महतो, पिता- स्व. जगरनाथ महतो वो दिलीप महतो वो राजेश महतो, पिता-स्व. मुंशी महतो वो हरी महतो, पिता- स्व. चरण महतो वो परमेश्वर महतो वो हृदय महतो, माता- स्व. सुदामी देवी				
9	2	56	रैयती	धानी-1	0.21					
10	2	58	रैयती	धानी-1	0.16					
11	3	34	रैयती	धानी-1	0.12	बासदेव राउत वो जगदीश राउत, पिता-स्व. बालो राउत वो सुकदेव राउत, पिता स्व. मुनी राउत।				
12	3	44	रैयती	धानी-1	0.05					
13	3	80	रैयती	धानी-1	0.01					
14	3	66	रैयती	बाड़ी-1	0.03	बद्री राउत, पिता- स्व.- बम राउत				
15	3	39	रैयती	धानी-1	0.23					
16	3	42	रैयती	धानी-1	0.10					
17	3	79	रैयती	धानी-1	0.01	बद्री राउत, पिता- बम राउत वो वासदेव राउत वो जगदीश राउत, पिता स्व. बालो राउत वो सुकदेव राउत, पिता- मुनी राउत				
18	3	43	रैयती	धानी-1	0.10					
19	3	81	रैयती	धानी-1	0.06					
20	4	29	रैयती	धानी-1	0.07	रामदेव राय पे०-स्व. रोहन राय				
21	4	54	रैयती	धानी-1	0.30					
22	5	3	रैयती	धानी-1	0.08		रंजन राउत वो कैलाश राउत			



23	5	7	रैयती	धानी-1	0.50	कमला देवी पे0- स्व. ठाकुर राउत वो चन्द्रकान्त राउत पे0 स्व. देवेन्द्र राउत वो शिवशंकर राउत,माता पुरनी देवी					
24	5	9	रैयती	धानी-1	0.36						
25	5	11	रैयती	धानी-1	0.25						
26	5	12	रैयती	धानी-1	0.37						
27	5	20	रैयती	धानी-1	0.32						
28	5	21	रैयती	धानी-1	0.14						
29	5	25	रैयती	धानी-1	0.35						
30	5	26	रैयती	धानी-1	0.06						
31	5	33	रैयती	धानी-1	0.12						
32	5	40	रैयती	धानी-1	0.33						
33	5	47	रैयती	धानी-1	0.12						
34	5	48	रैयती	धानी-1	0.14						
35	5	46	रैयती	धानी-1	0.56						
36	5	51	रैयती	बाड़ी-1	0.72						
37	5	55	रैयती	धानी-1	0.39						
38	5	59	रैयती	धानी-1	0.19						
39	6	77	रैयती	धानी-1	0.20		आनन्दी महतो वो फुलचन महतो, पे0- लखु महतो				
40	6	76	रैयती	धानी-1	0.41						
41	5	14	रैयती	धानी-1	0.24		सावित्री देवी पिता जगदीश राउत				
42	5	30	रैयती	धानी-1	0.06						
43	5	37	रैयती	धानी-1	0.33						
44	5	40	रैयती	धानी-1	0.23						
45	5	60	रैयती	धानी-1	0.43						
46	5	51	रैयती	धानी-1	0.05						
47	5	<u>46</u> 143	रैयती	धानी-1	0.21						
48	9	2	रैयती	बाड़ी-1	0.93	शहादत मियां वो सफायत मियां, पे0 स्व. हकीमउद्दीन मुनिया बीबी, पति सखावत मियां वो युसुफ अंसारी वो आसिक अंसारी, पे0- स्व. रजाक मियां वो एकसन बीबी, पति- स्व. नौशाद मियां।					
49	10	4	रैयती	धानी-1	0.04	सुकदेव राउत वो वासदेव राउत वो महादेव राउत वो जयनारायण राउत, पे0 स्व. मोती राउत					
50	10	5	रैयती	धानी-1	0.09						
51	10	8	रैयती	धानी-1	0.25						
52	10	10	रैयती	धानी-1	0.17						
53	10	13	रैयती	धानी-1	0.25						
54	10	15	रैयती	धानी-1	0.03						
55	10	17	रैयती	धानी-1	0.20						
56	10	19	रैयती	धानी-1	0.27						
57	10	24	रैयती	धानी-1	0.13						
58	10	27	रैयती	धानी-1	0.02						
59	10	32	रैयती	धानी-1	0.17						
60	10	36	रैयती	धानी-1	0.22						
61	10	38	रैयती	धानी-1	0.72						
62	10	45	रैयती	धानी-1	0.17						
63	10	49	रैयती	धानी-1	0.11						
64	10	52	रैयती	धानी-1	0.28						
65	10	57	रैयती	धानी-1	0.14						
66	10	74	रैयती	धानी-1	0.56						
कुल रकवा					15.72						

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

*[Handwritten signature]*  
23/9/15

*[Handwritten signature]*  
23.9.15

अपर समाहर्ता,  
देवघर।



भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

अपर समाहर्ता,  
देवघर।

ज्ञापांक 09/15-16/311 भू अ0, देवघर, दिनांक 09-9-15

- प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

अपर समाहर्ता,  
देवघर।